



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 2 मार्च, 2021

फाल्गुन 11, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3

संख्या 331 / 76-3-2021-44एनजी-2020

लखनऊ, 2 मार्च, 2021

अधिसूचना

### सा०प०नि०-10

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 51 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नये पैकेज वाले जल उद्योगों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम०एस०एम०ई०) की श्रेणी में आने वाले नये उद्योगों को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,  
अनुराग श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 331/ LXXVI-3-2021-44NG-2020, dated March 2, 2021:

No. 331/ LXXVI-3-2021-44NG-2020  
*Dated Lucknow, March 2, 2021*

IN exercise of the powers under section 51 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no.13 of 2019) and on the recommendation of the State Ground Water Management and Regulatory Authority, the Governor is pleased to exempt the new industries in the Uttar Pradesh, falling in the category of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) except the new packaged water industries from the operation of section 12 of the aforesaid Act.

By order,  
ANURAG SRIVASTAVA,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 764 राजपत्र-2021-(1619)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 9 सा० नमामि गंगे तथा ग्रामीण-2021-(1620)-1000 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।